(17)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1926 (श०)

(सं० पटना 311) पटना, शुक्रवार 4 मार्च 2005

[illegible]

अधिसूचना

7 फरवरी 2005

एस० ओ० 7—बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-189 की उप-धारा (2) खंड (च) (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-12 उप-धारा (2) एवं उप-धारा (3) के अधीन भू-स्वामी की रजिस्ट्रीकरण फीस एवं आदेशिका फीस (प्रोसेस फीस) की दरों में संशोधन के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार काश्तकारी नियमावली, 2004

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—

   (1) यह नियमावली 'बिहार काश्तकारी-नियमावली, 2004 कही जायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिक्री, दान, भोग-बंधक एवं विनियम द्वारा अंतरण की दशा में निम्नलिखित भू-स्वामी की रीजस्ट्रीकरण फीस देय होगी:—

भू-स्वामी के दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य।	रजिस्ट्रीकरण फीस की दरें।
(i) रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये तक)—	रु० 50/- (पचास रुपये)
(ii) रु० 50,001/- (पचास हजार एक रु०) से रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये तक)।	रु० 150/- (एक सौ पचास रु०)
(iii) रु० 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपये तक)।	रु० 250/- (दो सौ पचास रु०)
(iv) रु० 2,00,000/- से अधिक के लिए—	रु० 500/- (पांच सौ रुपये)

3. बिक्री, दान, भोग-बंधक एवं विनिमय द्वारा अंतरण की दशा में निम्नलिखित आदेशिका फीस देय होगी:—

दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य	आदेशिका फीस की दरें
(i) रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक—	रु० 25/- (पच्चीस रुपये)
(ii) रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अधिक—	रु० 50/- (पचास रुपये)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० एन० नारायणन,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

7th February 2005

S.O. 7—In exercise of the powers conferred by clause (f) (1) of sub-section (2) of section 189 of Bihar Tenancy Act 1885, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for the amendment in rates of Registration fees of the landlord and process fees under clause (a) (1) of sub-section (2) of section 12 of the said Act:—

THE BIHAR TENANCY RULES, 2004

1. Short Title, Extent and commencement:—

(1) These rules may be called the Bihar Tenancy Rules, 2004

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar,

(3) It shall come in to force at once.

2. The following Registration fees of the landloros shall be payable in case of sale, gift, mortagage and exchange;

Value mentioned in Document	Rate of Registration fees
(i) Upto Rs. 50,000/- (Fifty thousand)	Rs. 50/- (Fifty)
(ii) From Rs. 50,001/- (Fifty thousand one) to Rs. 1,00,000 (One Lakh).	Rs. 150/- (One hundred fifty)
(iii) From Rs. 1,00,001/- (One Lakh One) to Rs. 2,00,000 (Two Lakh).	Rs. 250/- (Two hundred fifty)
(iv) More than Rs. 2,00,000/- (Two lakh)	Rs. 500/- (Five hundred)

3. The following process fees shall be payable in case of sale, gift, mortagage and exchange:—

Value mentioned in Document	Rate of process fees
(i) Upto Rs. 1,00,000/- (One Lakh)	Rs. 25/- (Twenty five)
(ii) More than Rs. 1,00,000/- (One Lakh)	Rs. 50/- (Fifty)

By the order of the Governor of Bihar,
P. N. NARAYANAN,
Commissioner and Secretary
to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 81— 571+1500—डी०टी०पी०

बिहार सरकार
निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 29/12/2004

एस.ओ. संख्या 1/एम¹-126/2004/2905/ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सरकार की अधिसूचना सं-एस.ओ.सं-900, दिनांक 18.12.1990 द्वारा प्रकाशित संशोधन करते हैं :-

फीस तालिका के अनुच्छेद क (1) के दस्तावेजों के विवरण के पश्चात निम्नलिखित जोड़ी जाएगी :

''अनुसूचित बैंकों अथवा लोक वित्तीय संस्थानों (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिष्ट्रीकृत)द्वारा पुनर्संरचना कंपनियों (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण एवं पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित)के पक्ष में निष्पादित अनुपालन न करने वाली आस्तियाँ अथवा वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण एवं पुनर्संरचना के प्रयोजनार्थ ऋणों को प्रतिभूत करने वाले लिखतों अथवा अन्तर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण के समनुदेशन (एसाइनमेंट आफ डेब्ट) के लिखतों के रजिष्ट्रेशन के लिए 0.5% अर्थात 50 (पचास) पैसे प्रति 100.00 रूपये (एक सौ रूपए) की दर से रजिष्ट्रीकरण फीस देय होगा परन्तु यह 30,000/- रूपए (तीस हजार रूपए) से अधिक नहीं होगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1/एम¹-126/2004- 2905/ , पटना दिनांक 29/12/2004

उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार)
सरकार के सचिव

Government of Bihar
Department of Registration
Notification

Patna, Dated : 29/12/2004 /

S.O. No. - 1/M¹-126-2004 2905 / In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the table of fees published vide Bihar Government Notification No- S.O- 900, dated 18-12-1990.